केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

सचिव/विधि प्रकोष्ठ/2017

दिनांक:24.8.2017

परिपत्र

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय समस्त भारत में अवस्थित हैं । यह देखा गया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम, विशिष्ठ परीक्षाओं एवंम् संबद्धता से संबंधित विधिक मामले उच्चतम न्यायालयों एवंम जिला अदालतों में दर्ज किए जाते हैं । उन मामलों में बचाव हेतु लिए अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है । मामलों से संबंधित जवाब न्यायालयों में दर्ज किए जाते हैं । पूर्व में यह व्यवस्था थीं कि वकालतनामा, शपथ–पत्र एवं लिखित जवाब (counter affidavit) सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किये जाते थे ।

उपरोक्त प्रक्रिया को प्रभावी एवं नियंत्रित करते के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्थान पर संयुक्त सचिव (प्रशा० एवं विधि) उन शपथ–पत्रों एवं लिखित जवाब (counter affidavit) बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में दर्ज करेंगें । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित अनुभाग/प्रकोष्ठ लिखित जवाब (counter affidavit) की एक प्रति हस्ताक्षरित करके विधि अनुभाग को दस्तावेजों के अनुसार उपलब्ध कराएंगें, जिसके उपरांत संयुक्त सचिव (प्रशा० एवं विधि) वकालतनामा एवं लिखित जवाब (counter affidavit) हस्ताक्षरित करके अदालतों में दर्ज करेंगें । यह व्यवस्था मुख्यालय व एनसीआर स्थित इकाइयों एवं अनुभागों के लिए लागू होगी, जिनके मामले दिल्ली उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज होंगें ।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र में दर्ज हुए विधिक मामलों में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ही शपथ–पत्र एवं लिखित जवाब (counter affidavit) दर्ज करने में एकरूपता नहीं है । इसलिए यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित न्यायालयों में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ही लिखित जवाब (counter affidavit) दर्ज करना सुनिश्चित करें । वित्तीय शक्ति के प्रतिनिधिमंडल (Delegation of financial power)के अनुसार अनुमोदित दरों पर भुगतान करने की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्गत की गयी है इसलिए सूचीबद्ध अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मुख्यालय नहीं भेजे जाने चाहिए । प्रायः यह भी देखा गया है कि अधिवक्ताओं को नियुक्ति करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय को भेजे जाते हैं । जिसके कारण जवाब दर्ज करने में विलम्ब होता है ।उक्त अनुमोदन में मुख्यालय द्वारा प्रस्तावों में कोई गुणात्मक सुधार नहीं किया जाता है । अतः समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सूचीबद्ध (panel) अधिवक्ताओं को बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या CBSE/HQ/Legal/F.36/2010/507 दिनांक 02.08.2010 के अनुसार नियुक्त करें और भुगतान सुनिश्चित करें । विधिक केसों का वितरण अधिवक्ताओं के मध्य न्यायोचित और उनकी योग्यता के अनुसार किया जाए ।

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला में नाम एवं जन्म तिथि सुधार/परिवर्तन के केस अधिक मात्रा में दर्ज होते हैं । जिसके परिणाम स्वरूप कार्यालय आदेश संख्या CBSE/HQ/Legal/F.0378,F.0471/2014/507 दिनांक 15.5.2014 द्वारा अधिवक्ताओं को नियुक्त एवं भुगतान करने की विशेष एक मुश्त पर निर्धारित की गयी है । विशेषज्ञ अधिवक्ताओं के प्रस्ताव एवं जहां पर अधिवक्ता सूचीबद्ध नहीं के प्रसताव ही केवल मुख्यालय अनुमोदन हेतु भेजे जाएं । उपरोक्त के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला आगामी आदेशों तक पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव